



राजस्थान सरकार

कार्यालय : उप निदेशक, संमेकित बाल विकास सेवाएं श्रीगंगानगर।

email:-ddganganagar.wcd-rj@nic.in

Ph.No.-0154-2445021

क्रमांक :- आं.बा. स्था./2020/651

दिनांक : 05.07.2021

विज्ञप्ति संख्या 02/2021

निदेशालय संमेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांक 150819 दिनांक 09.11.2016 की पालना में जिले की निम्नलिखित बाल विकास परियोजना के अधीन ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं सहयोगिनों के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.स.	परियोजना का नाम	रिक्त पदों की संख्या			आवेदन जमा करवाने का स्थान:- बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय
		कार्यकर्ता	सहायिका	आशा सहयोगिन	
1.	घडसाना	2	4	3	घडसाना
2.	अनूपगढ	7	5	13	अनूपगढ
3.	रायसिहनगर	5	2	3	रायसिहनगर
4.	पदमपुर	2	4	1	पदमपुर
5.	श्रीगंगानगर ग्रा	3	5	2	श्रीगंगानगर ग्रा.
6.	सादुलशहर	1	1	0	सादुलशहर
7.	सूरतगढ	4	15	4	सूरतगढ
8.	श्रीकरणपुर	1	0	0	श्रीकरणपुर
9.	श्रीगंगानगर श.	3	1	1	श्रीगंगानगर श.
		28	37	27	

कार्यकर्ता मानदेय - 7800 रुपये /मिनी कार्यकर्ता -5975 रुपये/सहायिका -4450 रुपये/आशा सहयोगिन -2970 रुपये

रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी उप निदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

शर्त:-

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए आवेदन कर रही है उसी राजस्व गांव की निवासी होनी चाहिए एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं आशा सहयोगिन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवी तथा विवाहित होना अनिवार्य है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21-40 वर्ष तथा विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यक्ता के लिए 21-45 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
4. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 सांय 5 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं।
5. ओबीसी के आवेदक का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर

(नेता अरुणहोत्री)



राजस्थान सरकार

कार्यालय : उप निदेशक, संमेकित बाल विकास सेवाए श्रीगंगानगर।

email:-ddganganagar.wcd-rj@nic.in

Ph.No.-0154-2445021

- मे नही होने सबधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। किमीलेयर मे नही होने सबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
6. योग्य अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन जमा करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी।
 7. योग्य अभ्यर्थी द्वारा किये जा रहे आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर नम्बरिंग कर जमा करवाये तथा प्राप्ति रसीद अवश्य लेवें।
 8. किसी प्रकरण मे विवाद होने की स्थिति मे अन्तिम निर्णय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास श्रीगंगानगर का होगा।
- ❖ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना :-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मे मातृ एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित शर्तों को पूरा करने वाली माताओं को परिवार मे पहले जीवित बच्चे के लिए कुल 5000 रूपये की राशि किशतों मे सीधे खाते मे प्रदान करने का प्रावधान है।
- भुगतान की राशि एवं शर्त :-
1. प्रथम किशत 1000 गर्भावस्था का एलएमपी 150 दिन मे पंजीकरण।
 2. द्वितीय किशत 2000 कम से कम एक एएनसी जांच पर।
 3. तृतीय किशत 2000 बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा बीसीजी ओपीवी पेन्टावैलेट टीकारण पर।

रु

(तेज प्रकाश अग्निहोत्री)

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

श्रीगंगानगर